

FORM 21 C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election Under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Phulera (044) Election to the Legislative Assembly of Rajasthan (State) from Phulera (044) Assembly constituency.

In Pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Sh. **Nirmal Kumawat** **JOBNER ROAD, PHULERA DISTT JAIPUR (RAJ.)** sponsored by **BHARATIYA JANATA PARTY** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Jaipur



Signature

रिटर्निंग अधिकारी
Returning Officer.
वि.सं. क्षेत्र फुलैरा (044)

Date 11.12.2018

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखें)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।
फुलेरा (044) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान के विधानसभा का निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में शामिल उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री निर्मल कुमावत निवासी जोबनेर रोड, फुलेरा जिला जयपुर (राज.) जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित को उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन की सीट को भरे जाने हेतु विधिवत् निर्वाचित किया गया है।

स्थान जयपुर

तारीख 11.12.2018



(वीरेन्द्र सिंह यादव)

रिटर्निंग ऑफिसर

रिटर्निंग अधिकारी

विधानसभा क्षेत्र फुलेरा (044)